

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024-2025

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम अजय शर्मा  
 3. वर्तमान वेतन

2. पद सहायक 9A-III  
 4. वेतनवृद्धि की अगली तिथि 01.07.2025

उस जिले उच्च समूहगत तात्त्विक तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौर गृह तथा अन्य भवन या भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया खरीदा पट्टा, बचक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्यौर।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
राजगढ़	44 नं अना डुब्बा 20x40 = 800 Sqm Plot पत्रिक संम्पत्ति	8.00 लाख	स्वयं के नाम पर	पत्रिक संम्पत्ति		

शासकीय सेवक के द्वारा  


1. जो लागू न हो काट दीजिये। 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति को संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - म.प्र. शासकीय सेवक (आधरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह धारण कर भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उसका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा संभल अचल सम्पत्ति का ब्यौर देवे।